

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक:

ब्रजनन्दन प्रसाद,
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

सेवा में,

उप सचिव-सह-निकासी एवं
व्ययन पदाधिकारी,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 21/08/2019

विषय: वित्तीय वर्ष 2019-20 में विभागीय राज्यादेश संख्या 11(स्वी०) दिनांक 07.08.2019 द्वारा पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्राम पंचायतों को प्रतिनिधायन एवं अनुदान मद में प्रथम किस्त के रूप में स्वीकृत कुल ₹913.82 करोड़ (नौ अरब तेरह करोड़ बयासी लाख रुपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय राज्यादेश संख्या 11(स्वी०) दिनांक 07.08.2019 द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में प्रतिनिधायन एवं अनुदान मद में प्रथम किस्त के रूप में कुल ₹1491.87 करोड़ (चौदह अरब इक्क्यानवें करोड़ सत्तासी लाख रुपये) मात्र की राशि राज्य में कार्यरत सभी जिला परिषदों, पंचायत समितियों, एवं ग्राम पंचायतों के बीच वितरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें से ग्राम पंचायतों को प्रतिनिधायन एवं अनुदान मद में क्रमशः ₹604.42 करोड़ (छह अरब चार करोड़ बयालीस लाख रुपये रुपये) मात्र एवं ₹309.40 करोड़ (तीन अरब नौ करोड़ चालीस लाख रुपये) मात्र अर्थात् कुल ₹913.82 करोड़ (नौ अरब तेरह करोड़ बयासी लाख रुपये) मात्र की राशि स्वीकृत है।

2. उक्त विभागीय राज्यादेश एवं इसके साथ संलग्न विवरणी-1 के अनुरूप राज्य के सभी ग्राम पंचायतों को प्रतिनिधायन एवं अनुदान मद में क्रमशः ₹604.42 करोड़ (छह अरब चार करोड़ बयालीस लाख रुपये रुपये) मात्र एवं ₹309.40 करोड़ (तीन अरब नौ करोड़ चालीस लाख रुपये) मात्र अर्थात् कुल ₹913.82 करोड़ (नौ अरब तेरह करोड़ बयासी लाख रुपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

3. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप सचिव, पंचायती राज विभाग होंगे, जो विभागीय राज्यादेश संख्या 11(स्वी०) दिनांक 07.08.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना से CFMS के माध्यम से करेंगे एवं उक्त राज्यादेश के साथ संलग्न विवरणी-1 के अनुरूप CFMS के माध्यम से संबंधित ग्राम पंचायतों के बैंक खातों में राशि अंतरित करावेंगे। प्रतिनिधायन मद में ग्राम पंचायत को आवंटित राशि का 90% ग्राम पंचायत के मुख्यमंत्री निश्चय योजना के बैंक खातों में,

हस्ताक्षर

12

संलग्न -

जबकि 10% एवं अनुदान मद की राशि पंचम राज्य वित्त आयोग के ग्राम पंचायत के बैंक खातों में CFMS के माध्यम से राशि अंतरित की जायेगी।

4. इस आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2019-20 में मांग संख्या-16 अंतर्गत स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय से निम्नरूपेण से की जायेगी:-

क्र०	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय शीर्ष	इकाई	राशि (करोड़ रुपये में)
1	“मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-198-ग्राम पंचायतों को सहायता- उपशीर्ष-0009-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्राम पंचायतों को अंशदान।” विपत्र कोड-16-2515001980009	(i) 0009.31.05- सहायक अनुदान-परिसम्पत्तियों का निर्माण	604.42
		(ii) 0009.31.06- सहायक अनुदान-गैर वेतन	309.40
कुल			913.82
(नौ अरब तेरह करोड़ बयासी लाख रुपये) मात्र			

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4-05/98-2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 256 दिनांक 26.02.2019, 3392 दिनांक 01.03.2019 एवं 732 दिनांक 31.07.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

6. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाय, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

8. इस राशि की निकासी संबंधित कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

9. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

१४

१२

संख्या (..

10. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

11. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण), पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित है।

12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

(ब्रजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01-08/2017/28(आ०)/पं०रा० पटना, दिनांक 21/8/2019

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा-6/लेखापाल, पंचायती राज विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ब्रजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01-08/2017/28(आ०)/पं०रा० पटना, दिनांक 21/8/2019

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(ब्रजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

१८

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक:

ब्रजनन्दन प्रसाद,
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

सेवा में,

सभी उप विकास आयुक्त-सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद्, बिहार।

पटना, दिनांक 21/08/2019

विषय: विभागीय राज्यादेश संख्या 11(स्वी०) दिनांक 07.08.2019 द्वारा पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रथम किस्त की स्वीकृत राशि में से पंचायत समितियों के लिए प्रतिनिधायन एवं अनुदान मद में स्वीकृत कुल ₹130.54 करोड़ (एक अरब तीस करोड़ चौवन लाख रुपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय राज्यादेश संख्या 11(स्वी०) दिनांक 07.08.2019 द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में प्रतिनिधायन एवं अनुदान मद में प्रथम किस्त के रूप में कुल ₹1491.87 करोड़ (चौदह अरब इक्कयानवें करोड़ सत्तासी लाख रुपये) मात्र की राशि राज्य में कार्यरत सभी जिला परिषदों, पंचायत समितियों, एवं ग्राम पंचायतों के बीच वितरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें से पंचायत समितियों को प्रतिनिधायन तथा अनुदान मद में क्रमशः ₹86.34 करोड़ (छियासी करोड़ चौतीस लाख रुपये) मात्र तथा ₹44.20 करोड़ (चौवालीस करोड़ बीस लाख रुपये) मात्र अर्थात् कुल ₹130.54 करोड़ (एक अरब तीस करोड़ चौवन लाख रुपये) मात्र की राशि स्वीकृत है।

2. उक्त विभागीय स्वीकृत्यादेश के आलोक में संलग्न जिलावार विवरणी-2 के अनुरूप पंचायत समितियों को प्रतिनिधायन तथा अनुदान मद में क्रमशः ₹86.34 करोड़ (छियासी करोड़ चौतीस लाख रुपये) मात्र तथा ₹44.20 करोड़ (चौवालीस करोड़ बीस लाख रुपये) मात्र अर्थात् कुल ₹130.54 करोड़ (एक अरब तीस करोड़ चौवन लाख रुपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

3. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् होंगे, जो आवंटित राशि का व्यय एवं उपयोग विभागीय राज्यादेश संख्या 11(स्वी०) दिनांक 07.08.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में करेंगे।

4. इस आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत "मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-197-ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता उपशीर्ष-0004-राज्य

9/8/19

12

09/08/19

वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ब्लॉक पंचायतों को अंशदान' से इस आवंटनादेश के साथ संलग्न जिलावार विवरणी-01 के अनुसार प्रतिनिधायन एवं अनुदान मद के सामने के सामने अंकित 0004.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन' एवं विषय शीर्ष '0004.31.05-सहायक अनुदान-परिसम्पत्तियों के निर्माण' के अनुरूप किया जायेगा। इसकी मांग संख्या-16 एवं विपत्र कोड 16-2515001970004 है।

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4-05/98-2561 वि(2) दि 17 अप्रैल 1998, 256 दिनांक 26.02.2019, 3392 दिनांक 01.03.2019 एवं 732 दिनांक 31.07.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

6. इस आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाय, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

8. इस राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

9. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

10. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

11. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण), पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित है।

12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

अनुलग्नक: यथा उपर्युक्त।

विश्वासभाजन
(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)
१०/८

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 01-08/2017/29(आ०)/पं० पटना, दिनांक 21/08/2019

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा-05 (उपयोगिता प्रमाण पत्र कोषांग एवं 06 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

(ब्रजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 01-08/2017/29(आ०)/पं० पटना, दिनांक 21/08/2019

प्रतिलिपि : आईटी मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

(ब्रजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

8m

विवरणी-2

पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रतिनिधायन एवं अनुदान मद में प्रथम किस्त के रूप में पंचायत समिति हेतु आवंटित राशि की विवरणी

क्रं	जिला	पंचायत समिति की संख्या	प्रतिनिधायन	अनुदान	कुल आवंटित राशि (4+5)
			विषय शीर्ष 0004.31.06	विषय शीर्ष 0004.31.05	
1	2	3	4	5	6
1	Arwal	5	6181145.00	3164311.00	9345456.00
2	Araria	9	24367313.00	12474349.00	36841662.00
3	Aurangabad	11	20681191.00	10587314.00	31268505.00
4	Banka	11	18660968.00	9553102.00	28214070.00
5	Begusarai	18	23276037.00	11915692.00	35191729.00
6	Bhagalpur	16	23154391.00	11853418.00	35007809.00
7	Bhojpur	14	20951976.00	10725936.00	31677912.00
8	Buxar	11	14180017.00	7259171.00	21439188.00
9	Darbhanga	18	33494586.00	17146870.00	50641456.00
10	East Champaran	27	44989036.00	23031220.00	68020256.00
11	Gopalganj	14	21817206.00	11168872.00	32986078.00
12	Jamui	10	15437009.00	7902662.00	23339671.00
13	Jehanabad	7	9204076.00	4711837.00	13915913.00
14	Kaimur	11	14518571.00	7432484.00	21951055.00
15	Katihar	16	26927672.00	13785074.00	40712746.00
16	Gaya	24	35961274.00	18409641.00	54370915.00
17	Khargaria	7	14501448.00	7423722.00	21925170.00
18	Kishanganj	7	14406828.00	7375282.00	21782110.00
19	Lakhisarai	7	8205105.00	4200435.00	12405540.00
20	Madhepura	13	19219912.00	9839242.00	29059154.00
21	Madhubani	21	40633709.00	20801596.00	61435305.00
22	Muzzafarpur	16	38844561.00	19885679.00	58730240.00
23	Munger	9	9286185.00	4753873.00	14040058.00
24	Nalanda	20	23370330.00	11963966.00	35334296.00
25	Nawada	14	19867790.00	10170909.00	30038699.00
26	Patna	23	31095828.00	15918875.00	47014703.00
27	Purnia	14	27911616.00	14288782.00	42200398.00
28	Rohtas	19	22623108.00	11581438.00	34204546.00
29	Saharsa	10	16657318.00	8527374.00	25184692.00
30	Samastipur	20	37934295.00	19419688.00	57353983.00
31	Saran	20	31938979.00	16350509.00	48289488.00
32	Seohar	5	6178550.00	3162983.00	9341533.00
33	Shekhpura	6	5382602.00	2755512.00	8138114.00
34	Sitamarhi	17	30712399.00	15722587.00	46434986.00
35	Supaul	11	20132369.00	10306356.00	30438725.00
36	Siwan	19	27914920.00	14290473.00	42205393.00
37	Vaishali	16	28973315.00	14832298.00	43805613.00
38	West Champaran	18	33806365.00	17306468.00	51112833.00
Gross Total		534	863400000.00	442000000.00	1305400000.00

(एक अरब तीस करोड़ चौबन लाख रुपये) मात्र

21/8/19
(ब्रजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण),
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

१०

पत्रांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01-08/2017/35(आश)/पं०रा०

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक:

ब्रजनन्दन प्रसाद,
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

सेवा में,

सभी उप विकास आयुक्त-सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद्, बिहार।

पटना, दिनांक21/08/2019.....

विषय: विभागीय राज्यादेश संख्या 11(स्वी०) दिनांक 07.08.2019 द्वारा पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019-20 की स्वीकृत प्रथम किस्त की राशि में से जिला परिषदों के लिए स्वीकृत कुल ₹261.08 करोड़ (दो अरब इकसठ करोड़ आठ लाख रुपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय राज्यादेश संख्या 11(स्वी०) दिनांक 07.08.2019 द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में प्रतिनिधायन एवं अनुदान मद में प्रथम किस्त के रूप में कुल ₹1491.87 करोड़ (चौदह अरब इक्क्यानवें करोड़ सत्तासी लाख रुपये) मात्र की राशि राज्य में कार्यरत सभी जिला परिषदों, पंचायत समितियों, एवं ग्राम पंचायतों के बीच वितरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें से जिला परिषदों को प्रतिनिधायन एवं अनुदान हेतु क्रमशः ₹172.69 करोड़ (एक अरब बहत्तर करोड़ उनहत्तर लाख रुपये) मात्र एवं ₹88.39 करोड़ (अठ्ठासी करोड़ उनचालीस लाख रुपये) मात्र अर्थात् कुल ₹261.08 करोड़ (दो अरब इकसठ करोड़ आठ लाख रुपये) मात्र की राशि स्वीकृत है।

2. उक्त विभागीय राज्यादेश के आलोक में इस आवंटनादेश के साथ संलग्न जिलावार विवरणी-3 के अनुसार जिला परिषदों को प्रतिनिधायन एवं अनुदान हेतु क्रमशः ₹172.69 करोड़ (एक अरब बहत्तर करोड़ उनहत्तर लाख रुपये) मात्र एवं ₹88.39 करोड़ (अठ्ठासी करोड़ उनचालीस लाख रुपये) मात्र अर्थात् कुल ₹261.08 करोड़ (दो अरब इकसठ करोड़ आठ लाख रुपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् होंगे, जो आवंटित राशि का व्यय एवं उपयोग विभागीय राज्यादेश संख्या 11(स्वी०) दिनांक 07.08.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में करेंगे।

4. इस राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत "मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-196-जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता उपशीर्ष-0007-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में जिला परिषदों को अंशदान" से इस आवंटनादेश के साथ संलग्न जिलावार विवरणी-03 के अनुसार प्रतिनिधायन एवं अनुदान के सामने क्रमशः अंकित विषय शीर्ष '0007.31.06-सहायक अनुदान- गैर वेतन एवं 0007.31.04-सहायक अनुदान-वेतन' के अनुरूप किया जायेगा। इसकी मांग संख्या-16 एवं विपत्र कोड 16-2515001960007 है।

अम

62

मजिस्ट्रेट

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4-05/98-2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 256 दिनांक 26.02.2019, 3392 दिनांक 01.03.2019 एवं 732 दिनांक 31.07.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

6. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाय, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

8. इस राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

9. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

10. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

11. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण), पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

विश्वसभाजन
21/8/19
(ब्रजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 01-08/2017/30(आ०)/पं०रा० पटना, दिनांक 21/08/2019

प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा-05 (उपयोगिता प्रमाण पत्र कोषांग एवं 06 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

21/8/19
(ब्रजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 01-08/2017/30(आ०)/पं०रा० पटना, दिनांक 21/08/2019

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

21/8/19
(ब्रजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

विवरणी-3

पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रथम किस्त के रूप में जिला परिषदों को आवंटित राशि की विवरणी:-

क्र०	जिला	प्रतिनिधायन की राशि	अनुदान की राशि	कुल
		विषय शीर्ष 0007.31.06	विषय शीर्ष 0007.31.04	
1	2	3	4	6
1	Araria	50552222.00	25874752.00	76426974.00
2	Arwal	15626205.00	7998148.00	23624353.00
3	Aurangabad	44409467.00	22730632.00	67140099.00
4	Banka	39390874.00	20161905.00	59552779.00
5	Begusarai	44852537.00	22957414.00	67809951.00
6	Bhagalpur	45554833.00	23316878.00	68871711.00
7	Bhojpur	42618213.00	21813793.00	64432006.00
8	Buxar	29895713.00	15301882.00	45197595.00
9	Darbhangha	62077201.00	31773720.00	93850921.00
10	E.Champaran	81717113.00	41826253.00	123543366.00
11	Gaya	69884749.00	35769952.00	105654701.00
12	Gopalganj	43410001.00	22219063.00	65629064.00
13	Jamui	35321977.00	18079273.00	53401250.00
14	Jehanabad	21120591.00	10810406.00	31930997.00
15	Kaimur	33145027.00	16965018.00	50110045.00
16	Katihar	52843588.00	27047569.00	79891157.00
17	Khagaria	31982754.00	16370118.00	48352872.00
18	Kishanganj	32613940.00	16693185.00	49307125.00
19	Lakhisarai	19318214.00	9887874.00	29206088.00
20	Madhepura	38020556.00	19460518.00	57481074.00
21	Madhubani	76182046.00	38993173.00	115175219.00
22	Munger	21395837.00	10951288.00	32347125.00
23	Muzaffarpur	73199818.00	37466743.00	110666561.00
24	Nalanda	44809508.00	22935390.00	67744898.00
25	Nawada	40284615.00	20619359.00	60903974.00
26	Patna	58742996.00	30067134.00	88810130.00
27	Purnea	55150749.00	28228471.00	83379220.00
28	Rohtas	47498551.00	24311755.00	71810306.00
29	Saharsa	34577865.00	17698405.00	52276270.00
30	Samastipur	71810604.00	36755685.00	108566289.00
31	Saran	61046440.00	31246133.00	92292573.00
32	Sheikhpura	13750336.00	7038000.00	20788336.00
33	Sheohar	15567249.00	7967972.00	23535221.00
34	Sitamarhi	58437267.00	29910649.00	88347916.00
35	Siwan	54172700.00	27727865.00	81900565.00
36	Supaul	41909660.00	21451126.00	63360786.00
37	Vaishali	56199522.00	28765278.00	84964800.00
38	W.Champaran	67808462.00	34707221.00	102515683.00
Total :-		1726900000.00	883900000.00	2610800000.00

(दो अरब इकसठ करोड़ आठ लाख रुपये) मात्र

(ब्रजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण).

पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना

[Signature]

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक:

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

सभी उप विकास आयुक्त सह
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद्, बिहार।

पटना, दिनांक 14.04.2020

विषय: विभागीय राज्यादेश संख्या 01(स्वी०) दिनांक 13.04.2020 के आलोक में पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत पंचायत समितियों को वित्तीय वर्ष 2019-20 के प्रतिनिधायन एवं अनुदान मद की द्वितीय किस्त की अनिकासित कुल ₹137.51 करोड़ (एक अरब सैंतीस करोड़ इक्कयावन लाख रुपये) मात्र की राशि को वित्तीय वर्ष 2020-21 में आवंटन।

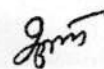
महाशय,

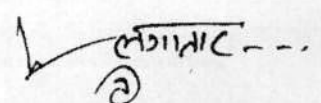
उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय राज्यादेश संख्या 01(स्वी०) दिनांक 13.04.2020 द्वारा पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019-20 की प्रतिनिधायन एवं अनुदान मद की कुल ₹1401.17 करोड़ (चौदह अरब एक करोड़ सत्रह लाख रुपये) मात्र की अनिकासित राशि को वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य में कार्यरत सभी जिला परिषदों, पंचायत समितियों, ग्राम पंचायतों एवं जिला पंचायत कार्यालय के बीच वितरित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें से पंचायत समितियों को प्रतिनिधायन एवं अनुदान मद में क्रमशः ₹83.91 करोड़ (तिरासी करोड़ इक्कयानवें लाख रुपये) मात्र तथा ₹53.60 करोड़ (तिरेपन करोड़ साठ लाख रुपये) मात्र अर्थात् कुल ₹137.51 करोड़ (एक अरब सैंतीस करोड़ इक्कयावन लाख रुपये) मात्र की राशि स्वीकृत है।

2. उक्त विभागीय राज्यादेश के आलोक में संलग्न जिलावार विवरणी-2 के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य के सभी पंचायत समितियों को प्रतिनिधायन तथा अनुदान मद में क्रमशः ₹83.91 करोड़ (तिरासी करोड़ इक्कयानवें लाख रुपये) मात्र तथा ₹53.60 करोड़ (तिरेपन करोड़ साठ लाख रुपये) मात्र अर्थात् कुल ₹137.51 करोड़ (एक अरब सैंतीस करोड़ इक्कयावन लाख रुपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

3. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के उप विकास आयुक्त सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् होंगे, जो आवंटित राशि का व्यय एवं उपयोग विभागीय राज्यादेश संख्या 01(स्वी०) दिनांक 13.04.2020 में निहित अनुदेशों के आलोक में करेंगे।

4. इस आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2020-21 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत "मुख्य शीर्ष 2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष 197 ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता उपशीर्ष-0004-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ब्लॉक पंचायतों को अंशदान" के विषय शीर्ष 0004. 31.06 सहायक अनुदान गैर वेतन से किया जायेगा। इसकी मांग संख्या-16 एवं विपत्र कोड 16 2515001970004 है।




लगाता है

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एग-4 05/98-2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998 एवं 383 दिनांक 20.03.2020 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
6. इस आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्यय पदाधिकारी की होगी।
7. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाय, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।
8. इस राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
9. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
10. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।
11. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित है।
12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

अनुलग्नक: यथा उपर्युक्त।

विश्वासभाजन

(कल्पना कुमारी)

अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापक : 54/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 01-08/2017/05(आ) पं०रा० पटना, दिनांक 14.04.2020
प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/प्रशाखा-05 (उपयोगिता प्रमाण पत्र कोषांग एवं 06 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

(कल्पना कुमारी)

अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापक : 54/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 01-08/2017/05(आ) पं०रा० पटना, दिनांक 14.04.2020
प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

(कल्पना कुमारी)

अनुश्रवण पदाधिकारी

विवरणी -2

पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में पंचायत समितियों को वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रतिनिधायन एवं अनुदान मद की द्वितीय किस्त की अनिकसित राशि को वित्तीय वर्ष 2020-21 में आवंटन की विवरणी:-

क्रं	जिला	पंचायत समिति की संख्या	प्रतिनिधायन	अनुदान	कुल आवंटित राशि (4+5)
			विषय शीर्ष 0004.31.06	विषय शीर्ष 0004.31.06	
1	2	3	4	5	6
1	Arwal	5	6007179.00	3837264.00	9844443.00
2	Araria	9	23681507.00	15127266.00	38808773.00
3	Aurangabad	11	20099129.00	12838915.00	32938044.00
4	Banka	11	18135763.00	11584755.00	29720518.00
5	Begusarai	18	22620943.00	14449799.00	37070742.00
6	Bhagalpur	16	22502721.00	14374280.00	36877001.00
7	Bhojpur	14	20362292.00	13007017.00	33369309.00
8	Buxar	11	13780926.00	8802977.00	22583903.00
9	Darbhanga	18	32551892.00	20793487.00	53345379.00
10	E. Champaran	27	43722839.00	27929261.00	71652100.00
11	Gopalganj	14	21203169.00	13544154.00	34747323.00
12	Jamui	10	15002541.00	9583317.00	24585858.00
13	Jehanabad	7	8945031.00	5713905.00	14658936.00
14	Kaimur	11	14109951.00	9013150.00	23123101.00
15	Katihar	16	26169806.00	16716739.00	42886545.00
16	Gaya	24	34949161.00	22324814.00	57273975.00
17	Khargaria	7	14093312.00	9002519.00	23095831.00
18	Kishanganj	7	14001353.00	8943780.00	22945133.00
19	Lakhisarai	7	7974175.00	5093740.00	13067915.00
20	Madhepura	13	18678975.00	11931748.00	30610723.00
21	Madhubani	21	39490090.00	25225464.00	64715554.00
22	Muzzafarpur	16	37751296.00	24114760.00	61866056.00
23	Munger	9	9024828.00	5764876.00	14789704.00
24	Nalanda	20	22712584.00	14508337.00	37220921.00
25	Nawada	14	19308620.00	12333953.00	31642573.00
26	Patna	23	30220649.00	19304337.00	49524986.00
27	Purnia	14	27126057.00	17327573.00	44453630.00
28	Rohtas	19	21986390.00	14044458.00	36030848.00
29	Saharsa	10	16188506.00	10340889.00	26529395.00
30	Samastipur	20	36866652.00	23549666.00	60416318.00
31	Saran	20	31040072.00	19827766.00	50867838.00
32	Seohar	5	6004658.00	3835654.00	9840312.00
33	Shekhpura	6	5231111.00	3341527.00	8572638.00
34	Sitamarhi	17	29848013.00	19066305.00	48914318.00
35	Supaul	11	19565752.00	12498205.00	32063957.00
36	Siwan	19	27129268.00	17329626.00	44458894.00
37	Vaishali	16	28157876.00	17986675.00	46144551.00
38	W. Champaran	18	32854913.00	20987042.00	53841955.00
Gross Total		534	839100000.00	536000000.00	1375100000.00

(एक अरब सैंतीस करोड़ इकक्यावन लाख रुपये) मात्र

(कल्पना देवगुप्ता)
अनुश्रवण/पदाधिकारी,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01 08/2017/06(आ.प)/पं०रा०

**बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग**

प्रेषक:

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

सभी उप विकास आयुक्त सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद्, बिहार।

पटना, दिनांक 14.04.2020

विषय: विभागीय राज्यादेश संख्या 01(स्वी०) दिनांक 13.04.2020 के आलोक में पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में जिला परिषदों को वित्तीय वर्ष 2019-20 के प्रतिनिधायन एवं अनुदान मद की द्वितीय किस्त की अनिकारित कुल ₹260.01 करोड़ (दो अरब साठ करोड़ एक लाख रुपये) मात्र की राशि को वित्तीय वर्ष 2020-21 में आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय राज्यादेश संख्या 01(स्वी०) दिनांक 13.04.2020 द्वारा पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019-20 की प्रतिनिधायन एवं अनुदान मद की कुल ₹1401.17 करोड़ (वौदह अरब एक करोड़ सत्रह लाख रुपये) मात्र की अनिकारित राशि को वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य में कार्यरत सभी जिला परिषदों, पंचायत समितियों, ग्राम पंचायतों एवं जिला पंचायत कार्यालय के बीच वितरित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें से पंचायत समितियों को प्रतिनिधायन एवं अनुदान मद में क्रमशः ₹167.82 करोड़ (एक अरब सड़सठ करोड़ बयासी लाख रुपये) मात्र एवं ₹92.19 करोड़ (बानवें करोड़ उन्नीस लाख रुपये) मात्र अर्थात् कुल ₹260.01 करोड़ (दो अरब साठ करोड़ एक लाख रुपये) मात्र की राशि स्वीकृत है।

2. उक्त विभागीय राज्यादेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2020-21 में जिला परिषदों को प्रतिनिधायन एवं अनुदान हेतु क्रमशः ₹167.82 करोड़ (एक अरब सड़सठ करोड़ बयासी लाख रुपये) मात्र एवं ₹92.19 करोड़ (बानवें करोड़ उन्नीस लाख रुपये) मात्र अर्थात् कुल ₹260.01 करोड़ (दो अरब साठ करोड़ एक लाख रुपये) मात्र की राशि विवरणी-3 के अनुरूप आवंटित की जाती है।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् होंगे, जो इस आवंटित राशि का व्यय एवं उपयोग विभागीय राज्यादेश संख्या 01(स्वी०) दिनांक 13.04.2020 में निहित अनुदेशों के आलोक में करेंगे।

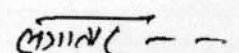
4. इस राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2020-21 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत "मुख्य शीर्ष 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम उपमुख्य शीर्ष 00 लघु शीर्ष-196 जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता उपशीर्ष 0007-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में जिला परिषदों को अंशदान" के विषय शीर्ष 0007.31.06 सहायक अनुदान गैर वेतन से किया जायेगा। इसकी मांग संख्या-16 एवं विपत्र कोड 16 2515001960007 है।

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4 05/98-2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998 एवं 383 दिनांक 20.03.2020 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।









6. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाय, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

8. इस राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

9. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

10. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

11. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

(कल्पना कुमारी)

अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 01-08/2017/06/11/पं०रा० पटना, दिनांक 14.04.2020
प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/प्रगारी पदाधिकारी, प्रशाखा-05 (उपयोगिता प्रमाण पत्र कोषांग एवं 06 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

(कल्पना कुमारी)

अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 01-08/2017/06/11/पं०रा० पटना, दिनांक 14.04.2020
प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

(कल्पना कुमारी)

अनुश्रवण पदाधिकारी

विवरणी-3

- पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में जिला परिषदों को वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रतिनिधायन एवं अनुदान मद की द्वितीय किस्त की अनिकासित राशि को वित्तीय वर्ष 2020-21 में आवंटन की विवरणी:-

क्र०	जिला	प्रतिनिधायन की राशि	अनुदान की राशि	कुल
		विषय शीर्ष 0007.31.06	विषय शीर्ष 0007.31.06	
1	2	3	4	5
1	Araria	49126608.00	26987141.00	76113749.00
2	Arwal	15185533.00	8341999.00	23527532.00
3	Aurangabad	43157084.00	23707851.00	66864935.00
4	Banka	38280019.00	21028691.00	59308710.00
5	Begusarai	43587659.00	23944383.00	67532042.00
6	Bhagalpur	44270149.00	24319301.00	68589450.00
7	Bhojpur	41416344.00	22751596.00	64167940.00
8	Buxar	29052629.00	15959730.00	45012359.00
9	Darbhanga	60326572.00	33139713.00	93466285.00
10	E.Champaran	79412623.00	43624417.00	123037040.00
11	Gaya	67913942.00	37307748.00	105221690.00
12	Gopalganj	42185804.00	23174289.00	65360093.00
13	Jamui	34325869.00	18856524.00	53182393.00
14	Jehanabad	20524973.00	11275159.00	31800132.00
15	Kaimur	32210310.00	17694366.00	49904676.00
16	Katihar	51353355.00	28210379.00	79563734.00
17	Khagaria	31080814.00	17073890.00	48154704.00
18	Kishanganj	31694200.00	17410847.00	49105047.00
19	Lakhisarai	18773424.00	10312966.00	29086390.00
20	Madhepura	36948345.00	20297151.00	57245496.00
21	Madhubani	74033650.00	40669540.00	114703190.00
22	Munger	20792456.00	11422098.00	32214554.00
23	Muzaffarpur	71135523.00	39077487.00	110213010.00
24	Nalanda	43545843.00	23921412.00	67467255.00
25	Nawada	39148556.00	21505812.00	60654368.00
26	Patna	57086395.00	31359759.00	88446154.00
27	Purnea	53595453.00	29442050.00	83037503.00
28	Rohtas	46159053.00	25356948.00	71516001.00
29	Saharsa	33602740.00	18459282.00	52062022.00
30	Samastipur	69785486.00	38335860.00	108121346.00
31	Saran	59324880.00	32589445.00	91914325.00
32	Sheikhpura	13362565.00	7340572.00	20703137.00
33	Sheohar	15128239.00	8310525.00	23438764.00
34	Sitamarhi	56789288.00	31196547.00	87985835.00
35	Siwan	52644987.00	28919922.00	81564909.00
36	Supaul	40727773.00	22373337.00	63101110.00
37	Vaishali	54614649.00	30001934.00	84616583.00
38	W.Champaran	65896208.00	36199329.00	102095537.00
Total :-		1678200000.00	921900000.00	2600100000.00

(दो अरब साठ करोड़ एक लाख रुपये) मात्र

(कलम 14(1) के तहत)

अनुश्रवण पदाधिकारी,

पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना